बी.एस.एफ. ने की सख्ती, बॉर्डर से सीमा के दो कि.मी. अंदर तक खनन गतिविधि पर रोक लगाई

बी.एस.एफ., पुलिस और प्रशासन ने तारबंदी से 250 मीटर पर हुए अवैध खनन वाले स्थान का जायजा लिया

बीकानेर, (निसं)। जिले से लगती पाक सीमा के दो किमी एरिया में खनन पर रोक लगा दी गई है। बीएसएफ, पुलिस, प्रशासन और खनन विभाग के दल ने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया है।

बीएसएफ ने साफ कह दिया है कि दो किमी में खनन नहीं होने दिया जाएगा। पहले यह रोक बॉर्डर पर एक किमी तक ही थी। बीकानेर से करीब 180 किमी दूर भारत-पाक सीमा के एक किमी एरिया में जिप्सम के अवैध खनन की जांच शुरू हो गई। बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचे। एरिया में हालात देखने के बाद दो किमी एरिया में खनन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

कलेक्टर को भी इसकी जानकारी दी है। एएसपी ग्रामीण सुनील कुमार, उपखंड प्रशासन और खनन विभाग के दल ने भी तारबंदी से 250 मीटर पर हुए अवैध खनन वाले स्थान का जायजा लिया। वहां एलएनटी मशीन से खुदाई के निशान भी मिले।

- **हालात देखने के बाद 'चक 25 बीएसएम' के मुरबा नंबर 9/10 में अवैध खनन की पुष्टि हुई**
- **एलएनटी मशीन से खुदाई के निशान भी मिले। दल ने तारबंदी तक निरीक्षण किया**

दल ने तारबंदी तक निरीक्षण किया। उसके बाद कावेरी, सुमेर, सांचू, मारुती सीमा चौकियां भी देखी। पूरे क्षेत्र में खनन की जानकारी ली और स्थान चिन्हित किए। बीएसएफ और ग्रामीणों से भी पूछताछ की। टीम पांच-छह घंटे बॉर्डर पर रही। मौके पर हालात देखने के बाद चक 25 बीएसएम के मुरबा नंबर 9/10 में अवैध खनन की पुष्टि हो गई। रणजीतपुरा थाने में एसएचओ भूप सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ जिप्सम चोरी को मुकदमा दर्ज किया गया है।

एएसपी ने बताया कि जांच अभी जारी है। बीएसएफ की कुछ चौकियां देखी हैं। पूरे एरिया का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा।

बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेन्द्र सिंह राठौड ने कहा है कि बॉर्डर पर अवैध खनन रोकने के लिए कई बार कलेक्टर को लिख चुके हैं। एक किमी पर रोक के बाद भी भारी मात्रा में खनन हुआ है। मंगलवार को हालात देखने के बाद अब दो किमी एरिया में खनन पर रोक लगा दी है। हम खनन नहीं होने देंगे। प्रशासन को बता दिया है।

बीकानेर रेंज के आईजी ओमप्रकाश ने कहा है कि बॉर्डर पर अवांछित गतिविधियों और अवैध खनन की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित एसएचओ को ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।

भगवती प्रसाद कलाल, कलेक्टर का कहना है कि बॉर्डर पर दो किमी एरिया में कर्फ्यू रहता है। ऐसे में अवैध खनन जैसी अवांछित गतिविधियां हो रही है। बीएसएफ, पुलिस और उपखंड अधिकारी से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

छात्रसंघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में जमकर चले जूते

कुम्हेर/भरतपुर, (निस)। महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय कुम्हेर मे छात्रसंघ कार्यालय उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एवं राज्य क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री सतवीर चौधरी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजीव सिंह पीसीसी के मेंबर एवं डॉक्टर बी एम भारद्वाज थे। छात्र संघ कार्यालय का फीता काटकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उद्घाटन किया।

- **समारोह में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बुलाने को लेकर विवाद हुआ : छात्रसंघ अध्यक्ष**

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के छात्रसंघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी जिंदाबाद के नारे लगाए, वही कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाने को लेकर राज्यमंत्री सतवीर चौधरी के साथ आए निखिल दयाल ने एबीवीपी के छात्रों से दुर्व्यवहार कर जूता मार देने पर विवाद खड़ा हुआ। पुलिस ने एबीवीपी के कृष्ण कुमार, नितेश चौधरी, सौरभ पाराशर को गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद स्टेज पर खड़े हुए राज्यमंत्री सतवीर चौधरी के साथ आए निखिल दयाल को राहुल उवार ने स्टेज पर चढ़ कर जूते मारने का बदला लिया। इस पर पुलिस ने राहुल उवार को भी 151 में गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष हितेश फौजदार ने कहा कि कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बुलाने को लेकर विवाद हो गया। भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मोदी और संघ के खिलाफ बोलते हैं। हमारे कार्यक्रम में आने वाली बस एवं गाड़ियों को रूकवा दिया।

सतीश चौधरी ने कहा कि छात्रसंघ अध्यक्ष हितेश ने मुझसे कहा कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। इस देश के अन्नदाता की आवाज को भी भाजपा सरकार दबाना चाहती है। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने किसान की आवाज को बुलंद किया है। राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चलकर लोगों का हाल-चाल जाना है। भाजपा सरकार ने देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाई है तथा किसानों को तीन काले कानून मे उलझा दिया। पूर्व राज्यपाल मलिक ने एवीबीपी के छात्रों द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध करने पर कहा कि सच्चाई कहने से में डरने वाला नही हूं। मैं जब तुम्हारे आका यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नही डरता हूं तो तुम क्या मुझे डरा पाओंगे। उन्होंने कहा कि मैने हमेशा सच्चाई के साथ देश हित को देखते हुए निर्णय लिए थे।

ईनामी बदमाश गिरफ्तार

करौली, (निसं)। मासलपुर के देवरी गांव में फायरिंग व हत्या के मामले में 2 माह से फरार चल रहे 2 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मासलपुर थानाधिकारी परसोत्तम सिंह ने बताया की पुलिस ने आरोपी जोगेंद्र पुत्र श्रीपद गुर्जर निवासी देवरी थाना मासलपुर को गिरफ्तार किया है। उन्होने बताया कि एसपी नारायण टोंगस एवं एएसपी सुरेश जैफ के निर्देशन में फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत वृत्ताधिकारी करौली दीपक गर्ग के सुपरविजन में मासलपुर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया की अवकाश पर चल रहे हैड कांस्टेबल परमजीत सिंह की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। यहां गौरतलब है की 30 नवंबर को देवरी गांव में खेत जुताई के भुगतान की बात को लेकर हुए विवाद में आरोपियों द्वारा बंदूकों से फायरिंग की गई। जिसमें एक महिला राजेश देवी गुर्जर निवासी देवरी की गोली लगने से मौके पर ही मौत व दो लोग घायल हुए थे। मामले को लेकर देवरी निवासी समुंदर सिंह द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। जिस पर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही की गई और 7 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर हथियारों की बरामदगी की गई।

राजस्व नियमों को ताक पर रख काटी जा रही कॉलोनियां

व्यक्तिगत आवासीय उपयोग के लिए कृषि भूमि से आबादी में संपरिवर्तन करवाने के बाद उपयोग नहीं करते है और प्लॉटिंग कर भूखण्ड बेचते है तो उनका कन्वर्जन निरस्त किया जाएगाः तहसीलदार

सायला, निसं)। जालोर जिले में सायला उपखण्ड क्षेत्र के जीवाणा समेत आसपास के इलाकों में भू-माफियाओं द्वारा राजस्व नियम कायदों को ताक पर रखकर कॉलोनियां काटी जा रही हैं। कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलने के नियम का भी कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। यह खेल प्रशासनिक स्तर पर कथित सांठगांठ से चल रहा है।

सायला उपखण्ड क्षेत्र के जीवाणा समेत आसपास के इलाकों में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है।

जानकारी के अनुसार राजस्थान भूमि राजस्व (ग्रामीणों क्षेत्रों में .षि भूमि का अ.षि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 2 के तहत आवासीय भूखंड, फ्लेट, गृह डवलपर्स की ओर से डवलप करके ही बेचा जा सकता है। आवासीय भूखंड को संपरिवर्तन करने का तहसीलदार को ढाई बीघा (4000 वर्ग मी.) और आवासीय कॉलोनी या प्रोजेक्ट के लिए उपखंड अधिकारी को 6.25 बीघा (10000 वर्ग मी.) तक भूमि को संपरिवर्तन का अधिकार है। वहीं आवासीय कॉलोनी में कुल भूमि का 60 फीसदी आवास उपयोग के लिए आरक्षित है। शेष 40 फीसदी भूमि सरकार को सुपुर्द करनी होती है। जिसमें सड़क, बगीचा आदि विकसित करने होते है। लेकिन जीवाणा क्षेत्र में राजस्व नियमों के विपरीत अधिकांश कॉलोनियां राज्य राजमार्ग सडक के किनारे एवं गांव के बाहरी रास्तों पर काटी जा रही हैं। जिसमें जीवाणा-सिणधरी रोड, जीवाणा-भूण्डवा रोड और जीवाणा-सायला रोड आदि स्थान शामिल हैं। यहां भू-माफियाओं द्वारा गरीब काश्तकारों की कृषि भूमि को औने पौने दाम में खरीदा जाता है। इसके बाद कृषि भूमि को ढाई बीघा के टुकडों-टुकडों में व्यक्तिगत आवासीय उपयोग के लिए आबादी में संपरिवर्तित करवा लेते हैं। संबंधित व्यक्ति द्वारा भूमि संपरिवर्तन करवाने के दौरान 50 रूपये के स्टाम्प पर कृषि भूमि को आवासीय इकाई हेतु संपरिवर्तन होने के बाद आवासीय कॉलोनी अथवा प्रोजेक्ट में बेचान नही करने का शपथ पत्र दिया जाता है। लेकिन भू-संपरिवर्तन के बाद प्लॉट काट कर अलग-अलग व्यक्तियों को बेच देते हैं। इससे ना केवल सरकार को राजस्व के रूप में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भी ठगा जा रहा है।

यह होगा नुकसान :- आवासीय कॉलोनी में कुल भूमि का 60 फीसदी भूमि पर आवास उपयोग के लिए आरक्षित है। शेष 40 फीसदी भूमि सरकार को सुपुर्द करनी होती है। जबकि व्यक्तिगत आवासीय उपयोग के लिए कृषि भूमि का ढाई बीघा के टुकडों टुकडों में भू-संपरिवर्तन करवाने पर यह 40 फीसदी भूमि सरकार को सुपुर्द नही करनी पडती है। जिसका भू-माफिया फायदा उठाते है। जिसके चलते चौडी सड़क, बगीचा आदि विकसित करने के लिए सरकार के पास भूमि उपलब्ध नही होती है। वही भू-माफियाओं द्वारा प्लॉटिंग के दौरान जो सडक दिखाई जाती है वह भी सरकार को सुपुर्द नही होती है।

अनार का हब बनने से बढ़ी प्लॉटों की मांग :- जीवाणा क्षेत्र में अनार की बंपर पैदावार होती है। राज्य सरकार द्वारा बजट में भी जीवाणा में अनार मण्डी की घोषणा की जा चुकी है। जिसके बाद जीवाणा में प्लॉटों की मांग बढने से दाम बढ गए हैं। ऐसे में राजस्व नियमों को ताक पर रखकर नियम विरूद्ध कॉलोनियां कटने लगी हैं। किसानों से सड़क किनारे की कृषि भूमि खरीदकर प्लॉटिंग की जा रही है। जबकि इन कॉलोनियों के मानचित्र भी स्वीकृत नहीं कराए गए हैं।

कौशल्या जांगिड, तहसीलदार सायला का कहना है कि व्यक्तिगत आवासीय उपयोग के लिए कृषि भूमि से आबादी में संपरिवर्तन करवाने के बाद नियमानुसार उपयोग नहीं करते है और प्लॉटिंग कर भूखण्ड बेचते है तो उनका कन्वर्जन निरस्त किया जाएगा।

सांकड विद्युत विभाग जे.ई.एन. चार हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जालोर/सांचोर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए जालोर जिले के सांचोर स्थित सांकड विद्युत विभाग के जेईएन को चार हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

जेईएन विनोद कुमार

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की जालोर टीम को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता वृत सांकड, सांचोर जोधपुर डिस्कॉम, जालोर द्वारा दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी जोधपुर के महानिरीक्षक पुलिस सवाईसिंह गोदारा के सुपरविजन में एसीबी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीरसिंह राणावत के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। उसके बाद बुधवार को पुलिस निरीक्षक दीनदयाल वैष्णव द्वारा मय टीम के ट्रेप की कार्यवाही करते हुए विनोद कुमार पुत्र दयालाल राजपुरोहित निवासी दाता, सांचोर जिला जालोर हाल कनिष्ठ अभियंता वृत-सांकड, सांचोर डिस्कॉम को परिवादी से चार हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम. एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जेईएन विनोद कुमार की पहली पोस्टिंग विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता सांकड में पिछले अप्रैल 2022 को ही पहली पोस्टिंग हुई है जो मूल गांव दाता से आठ किलोमीटर दूरी है। परिविक्षिका काल में ही जेईएन विनोद कुमार ट्रैप हो गया।

खान में दबने से श्रमिक की मौत

मालपुरा, (निसं)। डिग्गी थाना क्षेत्र के कडीला गांव के पास संचालित एक ग्रेनाईट की खान में मंगलवार की देर शाम को मलबे में दबने से एक श्रमिक की मौत हो गई।

थानाधिकारी कप्तान सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम को जरिए दूरभाष के कडीला के पास ग्रेनाईट की खान में दबने से एक व्यक्ति की मिली मौत की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डिग्गी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बुधवार को मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक के पुत्र की ओर से दी रिपोर्ट पर तीन जनों के विरूद्ध नामजद पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है।

जेईई-मेन 2023 : जनवरी सेशन का परिणाम जारी

कोटा, (निसं.)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई-मेन 2023 जनवरी सेशन का परिणाम जारी कर दिया। 24 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य हुई बीई-बीटेक के लिए यह परीक्षा 12 शिफ्टों में हुई तथा बी-आर्के के लिए एक शिफ्ट में परीक्षा हुई। जेईई-मेन अप्रेल सेशन की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है।

इस वर्ष जेईई-मेन जनवरी परीक्षा के लिए कुल 8 लाख 60 हजार 64 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इसमें 6 लाख 3 हजार 375 छात्र एवं 2 लाख 56 हजार 686 छात्राएं थी। रजिस्टर्ड विद्यार्थियों में से कुल 8 लाख 23 हजार 967 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 5 लाख 80 हजार 037 छात्र एवं 2 लाख 43 हजार 928 छात्राएं थी। परीक्षा में सम्मिलित स्टूडेंट्स में सामान्य श्रेणी के 3,11,539, ईडब्ल्यूएस के 98587, ओबीसी के 366089, एससी के 77368, एसटी के 27483 एवं विकलांग श्रेणी के 2301 शामिल हैं।नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एनटीए द्वारा शुरू की गई जेईई-मेन परीक्षा के इतिहास में इस सेशन में विद्यार्थियों की उपस्थिति सर्वाधिक रही। इस परीक्षा में रजिस्ट्रेशन की तुलना में रिकॉर्ड 95.80 प्रतिशत विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें सर्वाधिक 30 जनवरी को 96.31 प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित रहे। वहीं 1 फरवरी को 95.12 प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित रहे। 12 शिफ्टों में हुई इस परीक्षा में कुल 20 स्टूडेंट्स ने 100 पर्सेन्टाइल स्कोर प्राप्त किया, यानी कुछ शिफ्टें ऐसी भी रहीं जिसमें एक से अधिक स्टूडेंट्स ने 100 पर्सेन्टाइल स्कोर किया।

ये रहे कैटेगरी टॉपर:- सामान्य श्रेणी से बिकिना अभिनव चौधरी, ओबीसी से एनके विश्वजीत, ईडब्ल्यूएस से कृष गुप्ता, एससी से देशांक प्रताप सिंह, एसटी से दिव्यरथ थनुज एवं शारीरिक विकलांग कैटेगरी में साहिल अख्तर तथा छात्रा वर्ग में मिसाला प्रनिथी ने टॉप किया।

16 फरवरी को होंगे साक्षात्कार

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 16 फरवरी 2023 को सहायक आचार्य- होम साइंस (क्लॉथिंग टैक्सटाइल) के पदों हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। आयोग सचिव एचएल अटल ने कहा कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। साक्षात्कार में सम्मिलि त होने वाले सभी अभ्यर्थी अपने समस्त मूल-प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति अवश्य साथ लाएं। इनके अभाव में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा।

बिजली चोरी पकड़ने गए सतर्कता दल पर ग्रामीणों ने हमला किया

करीब आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त, सहायक अभियंता को भी हाथ में चोट आई

राजगढ़, (निसं)। अलवर के पास राजगढ़ क्षेत्र के धमरेड ग्राम में अनावड़ा मार्ग पर छतरी का बास में बुधवार प्रातः बिजली चोरी पकड़ने गए सतर्कता दल पर ग्रामीणों ने हमला कर करीब आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए। इस घटनाक्रम में सहायक अभियंता द्वारका प्रसाद को भी हाथ में चोट आई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेश कॉलोनी महेश नगर निवासी हाल अधिशासी अभियंता जेवीवीएनएल राजगढ़ देवेंद्र कुमार शर्मा ने मामला दर्ज कराया कि 8 फरवरी को प्रातः 5 बजे कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी की शिकायत पर खंड स्तरीय संयुक्त दल दम रेड के अनावड़ा मार्ग पर छतरी का बास में नत्थू राम रघुवीर सिंह कैलाश वगैरह कृषि विद्युत कनेक्शन की जांच में चोरी करते पाए गए।

इन लोगों ने चोरी के लिए हाथ से निर्मित डिम्मा ट्रांसफार्मर एवं केपीसीटर बैंक लगाकर विद्युत चोरी करते मिले। इस पर सामान जप्त कर ऑनलाइन बीसीआर की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान भीड़ जमा हो गई। रामवतार यादव, शिवलाल यादव, रघुवीर सिंह, कैलाश एवं नत्थू राम, श्रीराम एवं अन्य करीब दो दर्जन व्यक्तियों ने लाठी-डंडों एवं पत्थरों से वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटनाक्रम में सहायक अभियंता द्वारका प्रसाद के हाथ में चोट आई। मारपीट एवं पथराव की घटना में राजगढ़ एवं टहला क्षेत्र की करीब आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने राजकार्य में बाधा एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

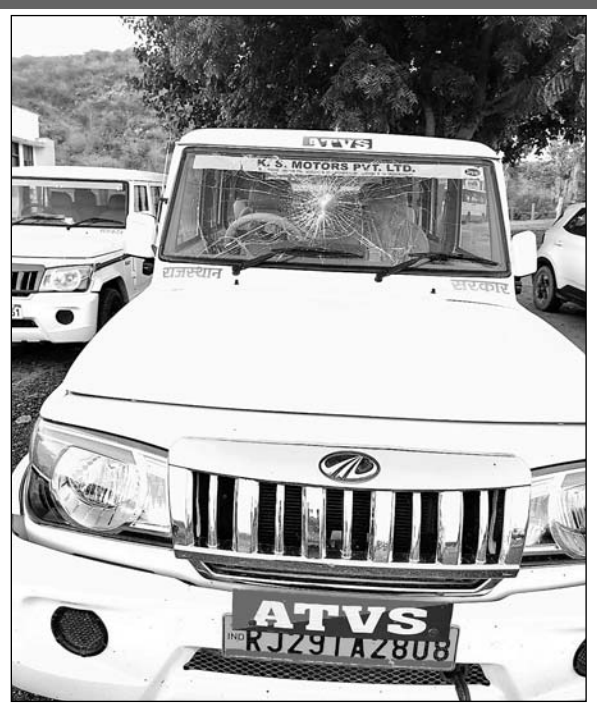

पथराव में क्षतिग्रस्त हुई सरकारी गाड़ी।

बबाई में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर पथराव

खेतडी, (निसं)। उपखंड के बबाई में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर पथराव करने के मामले में प्रशासन की ओर से थाने में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है तथा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- **पुलिस ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की**

सीआई विनोद सांखला ने बताया कि तहसीलदार विवेक कटारिया ने रिपोर्ट दी कि बबाई के 400 केवी जीएसएस के सामने राजकीय भूमि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में बबाई में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई थी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर भूमि खसरा नंबर 172 भूमि उद्योग क्षेत्र के लिए प्रस्ताव तैयार कर एसडीएम की अभिशंसा पर प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को भिजवाया जा चुका है। औद्योगिक क्षेत्र की भूमि में आत्माराम, सुल्तान बंजारा निवासी अशोकनगर के द्वारा अवैध अतिक्रमण की नियत से निर्माण कार्य शुरू किया गया था। जिस पर बबाई भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा निर्माण कार्य बंद करने के लिए उन्हें पाबंद भी किया गया था। इस दौरान प्रशासन की ओर से उन्हें हिदायत दी गई थी कि उक्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित हो चुकी है। इसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए। लेकिन आरोपियों ने प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिस पर प्रशासन की टीम ने पुलिस चौकी बबाई के जाब्ते के साथ निर्माणधीन निर्माण को हटाने के लिए पहुंची तो सुरजाराम, रघुवीर, आत्माराम, पप्पू राम, सुल्तान, अनिल, संदीप व तीन-चार अन्य महिलाओं ने एक राय होकर प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया। इस दौरान तीन-चार महिलाओं ने महिला पटवारी सरिता को जान से मारने का प्रयास करते हुए राजकार्य में बाधा पहुंचाई। इस दौरान पथराव कर रहे आरोपियों ने जानबूझकर पथराव से गाडियों के शीशे तोड दिए तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सीआई विनोद सांखला ने बताया कि पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

ई-निविदा की संक्षिप्त सूचना

राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर एजेन्सी के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएँ लेने हेतु पृथक-पृथक ऑन लाईन अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। अतः इच्छुक फर्म/कम्पनी/निविदादाता दिनांक 15.02.2023 को अपरान्ह 01.30 बजे तक ई-प्रोक्यूरमेंट पॉर्टल पर ई-निविदा अपलोड कर सकते हैं तथा निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in एवं www.uniraj.ac.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। UBN NO. URA2223SLOB00182 (तकनीकी कर्मचारियों बाबत्) UBN NO. URA2223SLOB00183 (गैर तकनीकी कर्मचारियों बाबत्)

कुलसचिव

कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द

क्रमांकः-जिपरा/क0लि0 भर्ती-2013/प्र0सू0तृ0/2022-23/2190 दिनांक 8-02-2023

विज्ञप्ति

जिला परिषद राजसमन्द द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु 2013 के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिरिक्त अस्थाई प्रतीक्षा सूची दिनांक 18-01-2023 को जारी कर दिनांक 30-01-2023 तक आपत्तियां मांगी गई थी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरान्त अतिरिक्त अस्थाई प्रतीक्षा सूची दिनांक 08-02-2023 को जारी कर विभागीय पोर्टल www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर अपलोड हेतु प्रेषित कर दी गई है एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।

उक्त विभागीय वेबपोर्टल पर अपलोड अतिरिक्त तृतीय प्रतीक्षासूची में उल्लेखित क्र.सं. 1 से 50 तक के अभ्यर्थी दिनांक 13-02-2023 एवं क्र.सं. 51 से शेष समस्त अभ्यर्थी दिनांक 14-02-2023 को दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु प्रातः 10:00 बजे से कार्यालय समय तक कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द के सभागार में अभ्यर्थी अपने साथ आवेदन पत्र मूल दस्तावेज मय स्वप्रमाणित प्रति, वांछित शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करावें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के निर्धारित दिनांक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।

(उत्साह चौधरी) IAS
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद राजसमन्द